

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग

क्रमांक- प. 6 (34) प्र.सु./अनु-3/2008

दिनांक 17-3-2015

संशोधित आज्ञा

प्रशासनिक सुधार विभाग की समसंख्यक आज्ञा क्रमांक- प. 6 (34) प्र.सु./अनु-3/2008 दिनांक 28.06.2008 में जिला यातायात प्रबंधन समिति (टी.एम.सी.) के विचारणीय बिन्दुओं में बिन्दु संख्या 7 यथा "सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं दुर्घटना बाहुल्य स्थलों के सुधार बाबत सुझाव देना" के स्थान पर "सड़क दुर्घटनाओं का अध्ययन, इनसे बचाव, दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं सड़क दुर्घटना बाहुल्य स्थलों के सुधार बाबत सुझाव देना" पढ़ा जावे।

शेष आज्ञा यथावत रहेगी।

आज्ञा से,

र. 17/3/15  
(रमेश चन्द भारद्वाज)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है: -

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान
3. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान
4. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त
7. शासन उप सचिव (मुख्यालय) परिवहन विभाग को संशोधित आज्ञा की अति. प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
8. रक्षित पत्रावली

र. 17/3/15  
उप शासन सचिव  
17/3/15